पत्रांक – 3108 / दिनांक – 10-10-2014

वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड में पंजीकृत व्यापारियों की बीमा दुर्घटना योजना के सम्बन्ध में प्रस्तावित संस्तुतियाँ एवं शर्तें

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 19–11–2014 से 18–11–2015 तक की अवधि के लिये वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रु0 5,00,000/– बीमा राशि मृतक व्यापारी के आश्रितों को दिये जाने के सम्बन्ध में योजना लागू की जानी है।

1– वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत एकल स्वामित्व वाली फर्मों, साझीदारी फर्मों, एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में व्यापार करने वाले व्यापारियों (लिमिटेड कम्पनी, सोसायटी, क्लब, एशोसिएशन, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों एवं अन्य प्राधिकरण या निकाय को छोड़कर) हेतु बीमा योजना, अनुबन्ध के दिनांक से एक वर्ष के लिये लागू करने हेतु निम्नलिखित शर्तों/अनुबन्धों के अधीन बीमा कम्पनियों से प्रस्ताव आमन्त्रित किया जा रहा है। निविदा प्रस्ताव इन्श्योरेन्स रेगुलेटरी डेवलपमेन्ट अथोरिटी (IRDA) में पंजीकृत बीमा कम्पनियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 30.10.2014 सांय 2.00 बजे तक आयुक्त कर कार्यालय, मसूरी बाईपास रोड नत्थनपुर, देहरादून में उपलब्ध कराने होंगे।

2– इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं बीमा कम्पिनियाँ द्वारा भाग लिया जायेगा जो इन्शोरेन्स रेगुलेटरी डेवलपमेन्ट अथोरिटी (IRDA) के अन्तर्गत पंजीकृत होंगी। अन्य किसी के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3– यह बीमा योजना वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत एकल स्वामित्व, साझीदार फर्मों एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में व्यापार करने वाली फर्मों के क्रमशः, स्वामी, साझेदार, कर्ता की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कम्पनी से अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये लागू होगी। साझीदार फर्म एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में व्यापार करने वाली फर्म में एक से अधिक व्यक्तियों का हित निहित हो सकता है, किन्तु दुर्घटना में मृत्यु की दशा में बीमा योजना के लाभ के लिये इस अवधि में एक डीलर केवल एक बार के लिये पात्र होगा तथा भुगतान दुर्घटना में मृत्यु होने वाले व्यक्ति के आश्रित को किया जायेगा। यदि किसी दुर्घटना में एक फर्म के एक से अधिक साझेदारों की मृत्यु होती है तो ऐसी दशा में सभी साझेदारों के आश्रितों में बीमा राशि के रू0 5.00 लाख की धनराशि को बराबर–बराबर अंशों में बांटकर बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जायेगा। यह योजना लि0 कम्पनी, सोसाइटी, क्लब एवं एशोसिएशन अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के वाणिज्यिक उपक्रम अथवा अन्य प्राधिकरण के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी। वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर के पास अपने सम्भाग में पंजीकृत व्यापारियों की विस्तृत सूचना उपलब्ध है, जिसे बीमा कम्पनी द्वारा अपने स्तर से प्रत्येक सम्भाग से प्राप्त किया जायेगा। सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में सम्भागवार नये पंजीकृत व्यापारियों एवं पंजीयन निरस्त किये गये व्यापारियों की सूचना सम्भागवार ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर से बीमा कम्पनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। साथ ही पंजीकृत व्यापारियों से बीमा प्रस्ताव फार्म भराने/नोमिनेशन करवाने का दायित्व भी बीमा कम्पनी का होगा। यह योजना 19 नवम्बर 2014 से एक वर्ष के लिए अनुबन्धित होगी। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 19–11–14 को पंजीकृत समस्त फर्में (जैसा बिन्दु 1 में उल्लेख किया गया है) एवं दिनांक 19–11–2014 से 18–11–2015 तक इस अवधि में पंजीयन प्राप्त करने वाले डीलर बीमायोजना से आच्छादित होंगे। वर्तमान में पंजीकृत व्यापारी जो कि बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं उनकी संख्या 89390 है। पंजीकृत व्यापारियों की यह संख्या घट एवं बढ़ सकती है। यथा योजनावधि के द्वौरान पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी बीमा योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतः आच्छादित माने जायेंगे, यदि बीच में किसी फर्म का पंजीकरण निरस्त हो जाता है, पंजीयन निरस्त होने की तिथि से बीमा योजना के आच्छादन से स्वतः बाहर हो जायेगी। नये पंजीकृत होने वाली फर्मों एवं पंजीयन निरस्त होने वाली फर्मों की सूचना वाणिज्य कर विभाग की वेब–साइट– http://Comtax. uk.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

4— योजना के अन्तर्गत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में रू0 पांच लाख मात्र (रू0 5,00,000) की धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा मृतक के आश्रित को बिन्दु संख्या—3 एवं 6 में उल्लिखित शर्तों के अनुरुप किया जायेगा।

5— यदि किसी बीमा कम्पनी द्वारा अपने प्रस्ताव में बीमित धनराशि के भुगतान के अतिरिक्त अपने स्तर से कोई अन्य सुविधा पीड़ित परिवार को उपलब्ध करायी जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि किन्ही दो (02) बीमा फर्मों का प्रस्ताव एक समान प्राप्त होता है तो अन्य सुविधा प्रदान करने वाली बीमा कम्पनी को वरीयता दी जायेगी।

6— पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में बीमा कम्पनी द्वारा सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर की संस्तुति पर प्रथमतः प्रश्नगत बीमित धनराशि, विधिक विवाहिता पत्नी/पति को उपलब्ध कराई जायेगी और यदि दो या दो से अधिक विधिक पत्नियां जीवित है तो बीमित धनराशि बराबर—बराबर सभी विधिक पत्नियों में बांटी जायेगी। जीवित पत्नी/पति न होने की दशा में तथा सम्बन्धित व्यापारी द्वारा मृत्यु से पूर्व इस बीमा के सम्बन्ध में किये गये नोमिनेशन तथा नोमिनेशन के अभाव में सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र के आधार पर नामित उत्तराधिकारी को सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) की संस्तुति पर बीमित धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

7— बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यापारी के आश्रित उत्तराधिकारी द्वारा सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर के माध्यम से बीमा कम्पनी में दावा 90 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। बीमित धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा तीन माह के भीतर कराना होगा। सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड के माध्यम से व्यापारी के उत्तराधिकारी के नाम बीमित धनराशि का चैक सम्बन्धित व्यक्ति को प्राप्त कराया जायेगा।

यदि बीमा कम्पनी द्वारा मृतक के दावे की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में तीन माह के पश्चात् की अवधि के चैक निर्गतिकरण में हुए विलम्ब की अवधि के मध्य दण्ड स्वरूप 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, सहित दावे का भुगतान बीमा कम्पनी को करना होगा।

8— बीमा कम्पनी के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय बीमा योजना अवधि में प्रत्येक तीन माह के अन्तिम दिवसों में एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन/कुमाऊँ जोन उत्तराखण्ड के साथ अनिवार्य रूप से व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की अध्यावधिक प्रगति से अवगत कराने हेतु बैठक आयोजित की जायेगी।

9— सम्बन्धित चयनित बीमा कम्पनी का यह दायित्व होगा कि बीमा अवधि में दुर्घटना होने की स्थिति में यदि दावा बीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी प्रस्तुत किया जाता है तो सम्बन्धित बीमा कम्पनी तीन माह की निर्धारित समयावधि के भीतर बीमा दावे का निस्तारण कर बीमा धनराशि का भुगतान किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा के निस्तारण में विलम्ब करने की दशा में ब्याज की शर्तें बिन्दु संख्या—07 के अनुसार रहेगी।

10— आयुक्त कर कार्यालय में व्यापारी दुर्घटना योजना से सम्बन्धित अभिलेखों के आडिट के समय यदि किसी ऐसे अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है, जो बीमा कम्पनी से सम्बन्धित है तो बीमा कम्पनी को उक्त अभिलेख मांग पर अनिवार्य रूप से आडिट दल को प्रस्तुत करेंगे। योजना के सम्बन्ध में अन्य वांछित जानकारी एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून से प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।

11— प्रस्ताव दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 को सांय 02:00 बजे तक आयुक्त कर कार्यालय में रखी निविदा पेटी में डाले जा सकते हैं तथा उसी दिन सांय 03:00 बजे प्राप्त सभी प्रस्तावों को आयुक्त कर द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग करने वाली बीमा कम्पनियों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। निविदा प्रस्तावों को खोलते समय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि/अधिकृत प्रतिनिधियों उपस्थित रह सकते हैं।

12— वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या/सूची जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है में यदि किसी त्रुटिवश अंकित/प्रदर्शित होने से रह जाता है किन्तु वह व्यापारी वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है, ऐसे व्यापारी को बीमा कम्पनी द्वारा देय बीमा राशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। बीमा कम्पनी का यह तर्क इस विभाग को मान्य नहीं होगा कि व्यापारी का नाम विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

13— अनुबन्ध के अन्तर्गत यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रथम स्तर में उसे आयुक्त कर या उनके द्वारा नामित अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

14— प्राप्त निविदाओं/प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त कर, उत्तराखण्ड का होगा।

15— किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिस क्षेत्र का विवाद होगा, उसी क्षेत्र के न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

(नीलम ध्यानी) असिस्टेंट कमिश्नर,वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून	(अनिल सिंह) ज्वाइंट कमिश्नर,वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून	(गंगा प्रसाद) एडिशनल कमिश्नर,(लेखा)वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून	(पीयूष कुमार) एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून